न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –890/2024

अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादी

2. दलीप सिंह पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सूट पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. सन्तोष पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. मीरा पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. रघुवीर सिंह पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रोहिताश कुमार डुडी पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. रामकौरी पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. रूपराम पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. ललिता पुत्री प्रताप सिंह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— तरतीवी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक:** -02/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1760 है0 भूमि में से 1625... हिस्सा भूमि वादी की माता मृतका धापी पत्नी दुलाराम के नाम दर्ज राजस्व ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धापा पत्नी दुलाराम के नाम दर्ज है जो की वादी की माता है। वादी की माता धापी पत्नी दुलाराम का दिनांक 18.06.2019 को स्वर्गवास हो चुका है वादी की माता ने अपने जीवन काल में दिनांक 03.03.2008 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खसरा नं. 288 की 8 बीघा, 297 की 49 बीघा 10 बिस्सा, 303 की 8 बिस्वा, 316 की 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 257 हिस्सा अथार्त 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि यानी अपनी समस्त भूमि की वसीयत अपने चारों पुत्रों कृष्ण कुमार, प्रताप सिंह, दलीप सिंह व राजेन्द्र कुमार पि0 दुलाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के पक्ष में ब0 हि0 ब0 करवाई थी। वसीयतकर्ता धापी पत्नी दुलाराम ने अपने होश हवास के साथ दो गवाह रामजीलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर व मोहनलाल पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने अपने अंगूठा निशान दर्ज किये थे तथा वसीयत नोटेरी पब्लिक एम.सी. बांकोलिया, नोहर से दिनांक 03.03.2008 को तस्दीक हुई। उपरोक्त वयीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद व स्थगन आदि नहीं है तथा वादी के भाई कृष्ण कुमार पुत्र दुलाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 है तथा वादी के भाई प्रताप सिंह पुत्र दुलाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 है। वादी की माता के स्वर्गवास के बाद रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1760 है0 भूमि में से 1625/7588 हिस्सा भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है तथा 1/4 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व 1/4 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/4 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर भूमि अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक वसीयत वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा कि जावें की उक्त वाद भूमि का मुताबिक वसीयत वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया। वसीयत के संबंध में वसीयत के गवाहन [illegible] पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी ललानिय व देवकरण पुत्र सुखराम जाति [illegible] ने शपथ पत्र पेश किया की उक्त वसीयत सही है जिस पर वसीयत[illegible] ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वसीयतकर्ता का देहांत हो चुका है एवं उक्त वाद भूमि बाबत कोई विवाद नही है तथा वसीयतकर्ता के देहांत के बाद वाद भूमि पर वसीयतग्रहिता काबिज है। वसीयत के संबंध में वादी के बुधराम, विनोद कुमार व नवीन कुमार ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा राणीसर सम्वत 2074–74 खाता संख्या 28/30, मृत्यु प्रमाण पत्र धापी व कृष्ण कुमार, चित्रप्रति सदस्य प्रमाण पत्र बहक कृष्ण कुमार व प्रताप सिंह, वसीयतनामा दिनांक 03.03.2008 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में धापा पत्नी दुलाराम के नाम दर्ज है जो की वादी की माता है। वादी की माता धापी पत्नी दुलाराम का दिनांक 18.06.2019 को स्वर्गवास हो चुका है वादी की माता ने अपने जीवन काल में दिनांक 03.03.2008 को एक वसीयत की थी जिसके अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खसरा नं. 288 की 8 बीघा, 297 की 49 बीघा 10 बिस्सा, 303 की 8 बिस्वा, 316 की 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से 257 हिस्सा अथार्त 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि यानी अपनी समस्त भूमि की वसीयत अपने चारों पुत्रों कृष्ण कुमार, प्रताप सिंह, दलीप सिंह व राजेन्द्र कुमार पि0 दुलाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के पक्ष में ब0 हि0 ब0 करवाई थी। वसीयतकर्ता धापी पत्नी दुलाराम ने अपने होश हवास के साथ दो गवाह रामजीलाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर व मोहनलाल पुत्र श्रवण कुमार जाति जाट निवासी ललानियां तहसील नोहर की मौजूदगी में उक्त वसीयत पर वसीयतकर्ता ने अपने अंगूठा निशान दर्ज किये थे तथा वसीयत नोटेरी पब्लिक एम.सी. बांकोलिया, नोहर से दिनांक 03.03.2008 को तस्दीक हुई। उपरोक्त वयीयत भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई विवाद व स्थगन आदि नहीं है तथा वादी के भाई कृष्ण कुमार पुत्र दुलाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 है तथा वादी के भाई प्रताप सिंह पुत्र दुलाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस तरतीवी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 है। वादी की माता के स्वर्गवास के बाद रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1760 है0 भूमि में से 1625/7588 हिस्सा भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है तथा 1/4 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है व 1/4 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ब0 हि0 ब0 काबिज है व 1/4 हिस्सा भूमि पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 ब0 हि0 ब0 काबिज है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 10 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया की उनका मा[illegible]क हिस्सा है उन्हें दिया जा रहा है। अतः मुताबिक वसीयत वादी को खा[illegible] [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1760 है0 भूमि में से 1625/7588 हिस्सा भूमि वादी की माता मृतका धापी पत्नी दुलाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुताबिक वसीयत धापी पत्नी दुलाराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 03.03.2008 को एक वसीयत अपने चारों पुत्रों कृष्ण कुमार, प्रताप सिंह, दलीप सिंह व राजेन्द्र कुमार पि0 दुलाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के पक्ष में ब0 हि0 ब0 करवाई थी। वसीयत के गवाहान मोहनलाल पुत्र श्रवण कुमार द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है की उक्त वसीयत सही है तथा बुधराम, विनोद कुमार व नवीन कुमार ने शपथ पत्र पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार धापी व कृष्ण कुमार का देहांत हो चुका है वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र व पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक धापी देवी के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1760 है0 भूमि में से 1625/7588 हिस्सा भूमि में धापी पत्नी दुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी को तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को तथा 1/4 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 को बहिब के तथा 1/4 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को बहिब के खतोदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –890/2024

अनवान : –

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादी

2. दलीप सिंह पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सूट पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. सन्तोष पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. मीरा पुत्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. रघुवीर सिंह पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. रोहिताश कुमार डुडी पुत्र कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. रामकौरी पत्नी प्रताप सिंह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. रूपराम पुत्र प्रताप सिंह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. ललिता पुत्री प्रताप सिंह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 890 सन 2024 निर्णय दिनांक – 02/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 28/30 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.1760 है0 भूमि में से 1625/7588 हिस्सा भूमि में धापी पत्नी दुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी को तथा 1/4 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को तथा 1/4 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 को बहिब के तथा 1/4 हिस्सा भूमि का तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 को बहिब के खतोदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:06:46 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर